

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:ई-33/फिजियो./एम 126/2019/38

दिनांक: 25/2/19

आदेश

श्री मोहम्मद सलीम, फिजियोथेरेपिस्ट, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, पाली जिनकी जन्म दिनांक 5.7.1959 है। श्री मोहम्मद सलीम के 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.7.2019 से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:ई-33/फिजियो./एम 126/2019/38

दिनांक: 25/2/19

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय पेंशन विभाग, जोधपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, पाली।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय वास्ते अपलोड।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

कर्मचारी के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर